छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हॉस्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / रजि0 नर्सिंग कां0 / प्रोजे. / 2020 / 1764 रायपुर, दिनांक 24 / 8 / 2020

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
शासकीय / निजी जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र
छत्तीसगढ़

विषय :– **शासकीय एवं निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित जी.एन.एम. पाठ्यकम तथा महिला एवं पुरूष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यकम को बंद करने के संबंध में।**

संदर्भ :– **1. छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का पत्र कं. एफ 10–06 / 2019 / नौ / 55–4 दिनांक 16 जून 2020**
2. संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, रायपुर का पत्र कं. / 6947 / प्रोजेक्ट / संचिशि / 2020 दिनांक 05 / 08 / 2020

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, रायपुर द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए जी.एन.एम. संस्थाओं के भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के मापदंड के अनुरूप निरीक्षण करने आदेश दिनांक 04 / 08 / 2020 को जारी किये गये है।

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के पत्र कं. 400 / नि.स. / स. / स्वा. / 2019 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 04 / 07 / 2019 जिसमें भारतीय उपचर्या परिषद् के आदेश दिनांक 14 / 03 / 2019 का उल्लेख करते हुए वर्ष 2019–20 से किसी भी संस्था को नवीन जी.एन.एम. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान न करने साथ ही जी.एन.एम. ट्रेनिंग प्रोग्राम को समाप्त करने एवं सत्र् 2020–21 से प्रवेश नहीं दिये जाने हेतु **[No admission will be made to GNM programme in 2020-21 academic year and thereafter]** कार्यवाही किया जाना उल्लेखित किया गया है।

इसी संबंध में भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र कं. F-No. 1-5/2018-INC/5626, Dated 19/09/2019 में नर्सिंग काउंसिल द्वारा सत्र् 2019–20 से किसी भी जी.एन.एम. पाठ्यक्रम हेतु नवीन मान्यता नहीं जाना हैं इसी प्रकार किसी भी जी.एन.एम. संस्था का Renewal / Restart / Enhancement of seat इत्यादि के लिए निरीक्षण नहीं किया जाना उल्लेखित किया गया है।

उक्त उल्लेखित तथा संदर्भित पत्रों के परिपालन में इस काउंसिल द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु जी.एन.एम. पाठ्यकम के लिये किसी भी प्रशिक्षण संस्था का निरीक्षण नहीं किया जाएगा।

(अध्यक्ष महोदय छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा अनुमोदित)

Dhaneriya
रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छत्तीसगढ़

कमशः 02

रायपुर, दिनांक ....../....../2020

क्रमांक / रजि0 नर्सिंग कां0 / 2020 / ....

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा विभाग, सिविल लाईन्स रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा, विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष, छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल सह संचालक चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस. परिसर रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यालयीन प्रति।

//

रजिस्ट्रार

छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल

रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर–492002

क्रमांकः एफ 10–06 / 2019 / नौ / 55–4 नवा रायपुर, दिनांकः 16 JUN 2020

प्रति,

1. संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें,
संचालनालय, इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषयः–शासकीय एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित जी.एन.एम. पाठ्यक्रम तथा महिला एवं पुरूष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को बंद करने के संबंध में।

संदर्भ–1. निदेशक, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (नर्सिंग सेक्शन), नई दिल्ली का पत्र क्रं. Z.28015/73/2016-N, दिनांक 05.10.2017

2. संयुक्त सचिव, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रं. F No. 22-10 Ref 2017-INC, दिनांक 03.07.2018.

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है, जिसमें भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (नर्सिंग सेक्शन) द्वारा नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने एवं जी.एन.एम. स्कूल को बी.एस.सी. (एन) के साथ मर्ज करने के लिए National Health Policy, 2017 के तहत सिंगल एण्ट्री लेवल फॉर नर्सिंग (Single Entry Level for Nursing) के लिये इंडियन नर्सिंग काउंसिल को निर्देश जारी किये गये है।

2/ इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा उक्त निर्देश के अनुक्रम में जी.एन.एम. कार्यक्रम को वर्ष 2020–21 तक बंद करने का ऐलान किया है। जिसके लिये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मार्च, 2022 तक समय–सीमा निर्धारित किया गया है।

3/ भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (नर्सिंग सेक्शन) एवं इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा जारी उक्त निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन एतदद्वारा शासकीय एवं निजी जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित जी.एन.एम. पाठ्यक्रम तथा शासकीय एवं निजी महिला एवं पुरूष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित पाठ्यक्रम को वर्ष 2019–20 से बंद करते हुये आगामी वर्ष से शासकीय एवं निजी संस्थानों में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर प्रतिबंध करती है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
आवक क्र.- 102
दिनांक- 17/06/2020
छत्तीसगढ़ (रायपुर)

15/6/2020
(सुनील नारायणिया)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वा. एवं परि. कल्याण तथा
चिकित्सा शिक्षा विभाग

/2...

पृ. क्रमांकःएफ 10—06/2019/नौ/55—4 नवा रायपुर, दिनांकः 16 JUN 2020

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा विभाग, सिविल लाईन्स, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
7. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, रायपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त, शासकीय महिला एवं पुरूष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित। (संचालक, चिकित्सा शिक्षा की ओर से प्रेषित किया जावे)
9. समस्त, शासकीय जनरल नर्सिंग मिडवायफरी (जी.एन.एम.) प्रशिक्षण केन्द्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित। (संचालक, चिकित्सा शिक्षा की ओर से प्रेषित किया जावे)
10. समस्त, निजी महिला एवं पुरूष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र एवं जनरल नर्सिंग मिडवायफरी (जी.एन.एम.) प्रशिक्षण केन्द्र की ओर सूचनार्थ। (संचालक, चिकित्सा शिक्षा की ओर से प्रेषित किया जावे)
11. आदेश फोल्डर हेतु।

15.6.2020

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वा. एवं परि. कल्याण तथा
चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी०के०एस० भवन परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2234451 फैक्स नं. 0771-2222212 ई-मेल cgdme@rediffmail.com

क्रमांक / 6959 / प्रोजेक्ट / संचिशि / 2020 रायपुर, दिनांक 5 . 8 . 2020

प्रति,

1. **प्राचार्य**
   समस्त शासकीय जी.एन.एम.प्रशिक्षण केन्द्र
2. **प्राचार्य,**
   समस्त शासकीय / निजी
   महिला / पुरूष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र
3. **संचालक**
   समस्त निजी जनरल नर्सिंग मिडवायफरी (जी.एन.एम.) प्रशिक्षण केन्द्र

विषय :- शासकीय एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित जी.एन.एम. पाठ्यक्रम तथा महिला एवं पुरूष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को बंद करने के संबंध में।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 10-06 / 2019 / नौ / 55-4 दिनांक 16 जून, 2020।

—::—::—

विषयान्तर्गत शासन के संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि भारत सरकार द्वारा जी.एन.एम. स्कूल को बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ मर्ज करने के लिए Nation Health Policy, 2017 के तहत Single Entry Level for Nursing के लिये इंडियन नर्सिंग काउंसिल को निर्देश जारी किये गये है।

भारतीय उपचर्या परिषद एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी उक्त निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा शासकीय एवं निजी जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित जी.एन.एम. पाठ्यक्रम तथा शासकीय एवं निजी महिला एवं पुरूष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित पाठ्यक्रम को वर्ष 2019-20 से बंद करते हुये आगामी वर्ष से शासकीय एवं निजी संस्थानों में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर प्रतिबंध करती है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार,

संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / / प्रोजेक्ट / संचिशि / 2020 रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा विभाग, सिविल लाईन्स रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुल सचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. राज्य आईटीसेल, संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर को website में upload हेतु पालनार्थ।

//
संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़